।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला टोंक ।।

प्रेस नोट

दिनांक :–10 जनवरी, 2019

जिला टोंक में अवैध बजरी खनन रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही

दिनांक 10.01.2019 को जिला टोंक के विभिन्न थानों क्षेत्रों में माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु चूनाराम जाट, पुलिस अधीक्षक टोंक के आदेशानुसार अति0 पुलिस अधीक्षक टोंक श्री अवनीश कुमार के मार्गदर्शन में वृत्ताधिकारी वृत्त टोंक श्री हरिप्रसाद सोमानी के निर्देशानुसार श्री केशाराम उ0नि0, श्री तसलीम कानि0 570, किश्मत म0कानि0 405 ने सोनवा रोड़ पर महिन्द्रा ट्रैक्टर 475 डीआई में बनास की बजरी भरी हुई होने से चालक मुलजिम प्रभु लाल माली थाना कोतवाली टोंक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर–ट्रॉली जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।

दिनांक 10.01.2019 को ईलाका थाना बरोनी में श्री राजेश वर्मा, वृत्ताधिकारी वृत्त, निवाई के निर्देशानुसार श्री नोरत मल सउनि, श्री दिनेश कानि0 1161 मय जीप चालक श्री नन्दकिशोर कानि0 618 व श्री गणपत सिंह हैड कानि0 52, श्री जितेन्द्र कानि0 822, श्री मुकेश कानि0 1255 ने 04 ट्रैक्टर–ट्रॉली अवैध बजरी से भरे हुये पकड़कर जप्त कर चालक मुलजिम 1–घनश्याम जाट पुत्र श्री श्योजी जाट, 2–प्रभू पुत्र श्री मांगीलाल बागरिया निवासी चितोड़ा प्रतापपुरा थाना फागी, 3–देवनारायण पुत्र श्री कजोड़ मीणा निवासी सींदड़ा थाना निवाई, 4–कैलाश पुत्र श्री नारायण मीणा निवासी चोरपुरा थाना निवाई को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। ईलाका थाना पीपलू श्री गणेश नारायण हैड कानि0 06, श्री अश्वनी कानि0 1114, श्री हनुमान कानि0 23, श्री खुशीराम कानि0 ने ग्राम नानेर में 02 ट्रक अवैध बजरी से भरे हुए, रूकवाकर चालक मुलजिम 1–जगदीश पुत्र श्री मोहन बलाई निवासी खिजुरिया थाना रेनवाल जिला जयपुर 2–सुरेश कुमार पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद जाति जाट निवासी प्रधान की ढाणी बिरमपुरा थाना रेनवाल जयपुर को गिरफ्तार कर दोनों ट्रकों को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।

दिनांक 10.01.2019 को अति0 पुलिस अधीक्षक मालपुरा श्री गोवर्धन लाल सौंकरिया के मार्गदर्शन में वृत्ताधिकारी वृत्त, देवली श्री संजय शर्मा के नेतृत्व में थानाधिकारी देवली श्री गयासुद्दीन व दूनी थानाधिकारी नरेश कंवर द्वारा अवैध बजरी की रोकथाम हेतु सामूहिक अभियान चलाकर बनास नदी क्षेत्र से अवैध बजरी खनन कर ले जाते हुये राजमहल से दोलता मोड, गांवडी के पास 04 ट्रक बजरी से भरे हुए, चांदली की झोपडियां के पास 04 डम्पर, पुराना अजमेर रोड़, नेगड़िया पुल के पास 02 ट्रेलर व 01 बारह चक्का ट्रक पकड़े गये। मुलजिमान के खिलाफ अलग–अलग प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई व साथ ही बजरी निकासी हेतु हल्के फोर व्हीलर वाहनों द्वारा बजरी माफियाओं द्वारा पुलिस जाप्ता व पुलिस अधिकारियों की रेकी करते पाये जाने पर शांति भंग व एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।